



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

f. 369] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 1991/आषाढ़ 6, 1913
No. 369] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 1991/ASADHA 6, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1991

का. आ. 427(अ):—केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 1 के
उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 118 के

651 GI/91

(1)

प्रावधान लागू करने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार एतद्वारा जुलाई, 93 का प्रथम दिन नियत करती है।

[मं आर टी-11028/6/90-एम वी एल]
जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1991

S.O. 427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of Rule 1 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the Central Government hereby appoints the first day of July '93 as the date on which the provisions of Rule 118 of the said rule shall come into force.

[RT-11028/6/90-MVL
G.K. PILLAI, Jt. Secy.]